प्रेस-विज्ञप्ति 10.02.2020

श्रीमान संपादक जी,

विषय : वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभागीय लेखा परीक्षण की प्रक्रिया पर कार्यशाला संपन्न।

महोदय,

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा-65 एवं नियमावली के नियम 101 के तहत कारोबारियों द्वारा रखे जा रहे लेखाबहियों, अभिलेखों के ऑडिट की प्रक्रिया GST विभाग के अधिकारी करेंगे। GST पोर्टल पर उपलब्ध GST के समस्त रिटर्न, इनपुट GST के रजिस्टर्स, एवं फॉर्म -2A से भी ऑडिट परीक्षण के दौरान मिलान किया जाएगा। कारोबारियों को लेखा बहियों के इस परीक्षण में समस्त आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने होंगे। परीक्षण अधिकारियों की सहायता करनी होगी। परीक्षण का उद्देश्य माल एवं सेवा कर कानूनों के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। सही करदेयता का निर्धारण सुनिश्चित किया जायेगा। कारोबारियों को इस ऑडिट से डरने की कोई जरुरत नहीं है। कारोबारियों की विभाग सही करदेयता के निर्धारण में मदद करेगा। विभागीय अधिकारी से किसी भी तरह की परेशानियां नहीं होगी।
जो त्रुटियां हो गयी है उन्हें अधिकारी लेखा परीक्षण के दौरान इंगित करेंगे। भविष्य में ऐसा न हो, इसकी सही जानकारी से भी कारोबारियों को अवगत कराया जायेगा। उक्त विचार CGST के कमिश्नर (ऑडिट), श्री सोमेश तिवारी जी ने मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन व कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित GST लेखा परीक्षण कार्यशाला में व्यक्त किये।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में जॉइंट कमिश्नर (ऑडिट) श्री आर.पी. सिंह ने बताया कि लेखा परीक्षण का ऑडिट GST के अभिलेखों से कारोबारियों के कार्यालय परिसर में ऑडिट टीम द्वारा किया जाएगा। छोटे कारोबारियों के मामलों में उन्हें कार्यालय बुलाकर के भी संपन्न किये जायेगे। ऑडिट की सूचना 15 दिन पूर्व कारोबारियों को नोटिस जारी कर दी जाएगी। ऑडिट के दौरान समस्त लेखा-बहियाँ, वित्तीय वर्ष के स्टेटमेंट्स, GST के समस्त अभिलेख आदि उपलब्ध कराना होगा।

तकनीकी सत्र के द्वितीय वक्ता के रूप में अधीक्षक श्री कामेश बाजपेयी जी ने बताया कि GST विभाग लेखा परीक्षा ऑडिट प्रारम्भ होने की 3 माह की तिथि के अंदर पूर्ण किये जाएंगे। किन्ही परिस्थितियो में यदि ऑडिट समय से पूर्ण नहीं हो पायेगा तो कमिश्नर की अनुमति से ऑडिट की समय सीमा 6 माह बढ़ा दी जाएगी।
लेखा परीछण के दौरान जो त्रुटियां पायी जाएंगी। उल्लंघन पाया जाएगा । कारोबारियों को पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा। स्पष्टीकरण हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार करने के उपरान्त ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म GST ADT-02 में तैयार की जाएगी। इस ऑडिट रिपोर्ट पर टैक्स, ब्याज या अर्थदंड आदि के आरोपण पर विचार हेतु क्षत्रीय अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी इस रिपोर्ट के आधार पर धारा-73 एवं धारा-74 में उल्लंघन के नियमानुसार कार्रवाई सम्पादित की जाएगी।

शंका-समाधान सत्र में उक्त दोनों वक्ताओं के साथ अधीक्षक विवेक गुप्ता, पंकज अवस्थी, निर्मल त्रिवेदी, आर.के. गोकलानी, निरीक्षक द्वारा कारोबारियों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, एवं अधिवक्ताओ की शंकाओ का समाधान किया गया।

GST ऑडिट कार्यशाला की अध्यक्षता मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष सी.ए. मुकुल कुमार टंडन ने की। संचालन, मर्चेंट्स चैम्बर की GST कमिटी के चेयरमैन अधिवक्ता- संतोष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया। आभार अखिलेश तिवारी ने व्यक्त किया।

मुख्य रूप से मर्चेंट्स चैम्बर के सचिव महेन्द्र नाथ मोदी, दीप कुमार मिश्रा, ज्ञान प्रकाश गुप्ता, शरद शाह, राजीव कुमार गुप्ता, आदि उपस्थित थे।

धन्यवाद